Section 2 : Definitions

In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (1) "actionable claim" shall have the same meaning as assigned to it in section 3 of the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882);
- **(2) "address of delivery"** means the address of the recipient of goods or services or both indicated on the tax invoice issued by a registered person for delivery of such goods or services or both;
- (3) "address on record" means the address of the recipient as available in the records of the supplier;
- (4) "adjudicating authority" means any authority, appointed or authorised to pass any order or decision under this Act, but does not include the ¹[Central Board of Indirect Taxes and Customs], the Revisional Authority, the Authority for Advance Ruling, the Appellate Authority for Advance Ruling, ²[the National Appellate Authority for Advance Ruling] ³[the Appellate Authority, the Appellate Tribunal and the Authority referred to in sub-section (2) of section 171];
- (5) "agent" means a person, including a factor, broker, commission agent, arhatia, del credere agent, an auctioneer or any other mercantile agent, by whatever name called, who carries on the business of supply or receipt of goods or services or both on behalf of another;
- (6) "aggregate turnover" means the aggregate value of all taxable supplies (excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis), exempt supplies, exports of goods or services or both and inter-State supplies of persons having the same Permanent Account Number, to be computed on all India basis but excludes central tax, State tax, Union territory tax, integrated tax and cess;
- (7) "agriculturist" means an individual or a Hindu Undivided Family who undertakes cultivation of land
 - (a) by own labour, or
 - **(b)** by the labour of family, or
 - **(c)** by servants on wages payable in cash or kind or by hired labour under personal supervision or the personal supervision of any member of the family;
- (8) "Appellate Authority" means an authority appointed or authorised to hear appeals as referred to in section 107;

Substituted for "Central Board of Excise and Customs" by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 02/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019.

² Inserted by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019), effective date is to be notified.

³ Substituted for "the Appellate Authority and the Appellate Tribunal" by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 02/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019.

- (9) "Appellate Tribunal" means the Goods and Services Tax Appellate Tribunal constituted under section 109;
- (10) "appointed day" means the date on which the provisions of this Act shall come into force;
- (11) "assessment" means determination of tax liability under this Act and includes self-assessment, re-assessment, provisional assessment, summary assessment and best judgment assessment;
- **(12)** "associated enterprises" shall have the same meaning as assigned to it in section 92A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);
- (13) "audit" means the examination of records, returns and other documents maintained or furnished by the registered person under this Act or the rules made thereunder or under any other law for the time being in force to verify the correctness of turnover declared, taxes paid, refund claimed and input tax credit availed, and to assess his compliance with the provisions of this Act or the rules made thereunder;
- (14) "authorised bank" shall mean a bank or a branch of a bank authorised by the Government to collect the tax or any other amount payable under this Act:
- **(15) "authorised representative"** means the representative as referred to in section 116;
- (16) "Board" means the ⁴[Central Board of Indirect Taxes and Customs] constituted under the Central Boards of Revenue Act, 1963 (54 of 1963);
- (17) "business" includes
 - (a) any trade, commerce, manufacture, profession, vocation, adventure, wager or any other similar activity, whether or not it is for a pecuniary benefit;
 - **(b)** any activity or transaction in connection with or incidental or ancillary to sub-clause (*a*);
 - (c) any activity or transaction in the nature of sub-clause (a), whether or not there is volume, frequency, continuity or regularity of such transaction;
 - (d) supply or acquisition of goods including capital goods and services in connection with commencement or closure of business;
 - **(e)** provision by a club, association, society, or any such body (for a subscription or any other consideration) of the facilities or benefits to its members;
 - (f) admission, for a consideration, of persons to any premises;
 - (g) services supplied by a person as the holder of an office which has been accepted by him in the course or furtherance of his trade, profession or vocation;

⁴ Substituted for "Central Board of Excise and Customs" by Finance Act, 2018 (No. 13 of 2018).

- **(h)** ⁵[activities of a race club including by way of totalisator or a license to book marker or activities of a licensed book maker in such club; and;]
- (i) any activity or transaction undertaken by the Central Government, a State Government or any local authority in which they are engaged as public authorities;
- (18) ⁶[****];
- **19)** "capital goods" means goods, the value of which is capitalised in the books of account of the person claiming the input tax credit and which are used or intended to be used in the course or furtherance of business;
- (20) "casual taxable person" means a person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services or both in the course or furtherance of business, whether as principal, agent or in any other capacity, in a State or a Union territory where he has no fixed place of business;
- (21) "central tax" means the central goods and services tax levied under section 9:
- **(22)** "cess" shall have the same meaning as assigned to it in the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act;
- (23) "chartered accountant" means a chartered accountant as defined in clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949);
- **(24)** "Commissioner" means the Commissioner of central tax and includes the Principal Commissioner of central tax appointed under section 3 and the

⁵ Sub-clause (h) substituted by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 02/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019. Earlier to substitution it read as under:

[&]quot;(h) services provided by a race club by way of totalisator or a licence to book maker in such club; and"

Sub-section (18) omitted by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 2/2019–Central Tax, dt.29-01-2019. Earlier to omission it read as under:

[&]quot;(18) "business vertical" means a distinguishable component of an enterprise that is engaged in the supply of individual goods or services or a group of related goods or services which is subject to risks and returns that are different from those of the other business verticals.

Explanation–For the purposes of this clause, factors that should be considered in determining whether goods or services are related include—

⁽a) the nature of the goods or services;

⁽b) the nature of the production processes;

⁽c) the type or class of customers for the goods or services;

⁽d) the methods used to distribute the goods or supply of services; and

⁽e) the nature of regulatory environment (wherever applicable), including banking, insurance, or public utilities;"

- Commissioner of integrated tax appointed under the Integrated Goods and Services Tax Act;
- **(25)** "Commissioner in the Board" means the Commissioner referred to in section 168;
- **(26)** "Common portal" means the common goods and services tax electronic portal referred to in section 146;
- **(27)** "common working days" in respect of a State or Union territory shall mean such days in succession which are not declared as gazetted holidays by the Central Government or the concerned State or Union territory Government;
- (28) "company secretary" means a company secretary as defined in clause (c) of sub-section (1) of section 2 of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980);
- **(29)** "competent authority" means such authority as may be notified by the Government;
- (30) "composite supply" means a supply made by a taxable person to a recipient consisting of two or more taxable supplies of goods or services or both, or any combination thereof, which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is a principal supply;
 - **Illustration.** Where goods are packed and transported with insurance, the supply of goods, packing materials, transport and insurance is a composite supply and supply of goods is a principal supply;
- (31) "consideration" in relation to the supply of goods or services or both includes
 - (a) any payment made or to be made, whether in money or otherwise, in respect of, in response to, or for the inducement of, the supply of goods or services or both, whether by the recipient or by any other person but shall not include any subsidy given by the Central Government or a State Government;
 - (b) the monetary value of any act or forbearance, in respect of, in response to, or for the inducement of, the supply of goods or services or both, whether by the recipient or by any other person but shall not include any subsidy given by the Central Government or a State Government:
 - **Provided** that a deposit given in respect of the supply of goods or services or both shall not be considered as payment made for such supply unless the supplier applies such deposit as consideration for the said supply;
- (32) "continuous supply of goods" means a supply of goods which is provided, or agreed to be provided, continuously or on recurrent basis, under a contract, whether or not by means of a wire, cable, pipeline or other conduit, and for which the supplier invoices the recipient on a regular or periodic basis and includes supply of such goods as the

- Government may, subject to such conditions, as it may, by notification, specify;
- (33) "continuous supply of services" means a supply of services which is provided, or agreed to be provided, continuously or on recurrent basis, under a contract, for a period exceeding three months with periodic payment obligations and includes supply of such services as the Government may, subject to such conditions, as it may, by notification, specify;
- (34) "conveyance" includes a vessel, an aircraft and a vehicle;
- (35) "cost accountant" means a cost accountant as defined in ⁷[clause (b)] of sub-section (1) of section 2 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959);
- **"Council"** means the Goods and Services Tax Council established under article 279A of the Constitution;
- **"credit note"** means a document issued by a registered person under subsection (1) of section 34;
- **(38)** "debit note" means a document issued by a registered person under subsection (3) of section 34;
- **(39)** "deemed exports" means such supplies of goods as may be notified under section 147;
- **(40)** "designated authority" means such authority as may be notified by the Board;
- **(41)** "document" includes written or printed record of any sort and electronic record as defined in clause (t) of section 2 of the Information Technology Act, 2000;
- (42) "drawback" in relation to any goods manufactured in India and exported, means the rebate of duty, tax or cess chargeable on any imported inputs or on any domestic inputs or input services used in the manufacture of such goods;
- **(43) "electronic cash ledger"** means the electronic cash ledger referred to in sub- section (1) of section 49;
- **(44) "electronic commerce"** means the supply of goods or services or both, including digital products over digital or electronic network;
- **"electronic commerce operator"** means any person who owns, operates or manages digital or electronic facility or platform for electronic commerce;
- **(46) "electronic credit ledger"** means the electronic credit ledger referred to in sub-section (2) of section 49;
- (47) "exempt supply" means supply of any goods or services or both which attracts *nil* rate of tax or which may be wholly exempt from tax under

Substituted for "clause (c)" by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 02/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019.

- section 11, or under section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, and includes non-taxable supply;
- (48) "existing law" means any law, notification, order, rule or regulation relating to levy and collection of duty or tax on goods or services or both passed or made before the commencement of this Act by Parliament or any Authority or person having the power to make such law, notification, order, rule or regulation;
- (49) "family" means,—
 - (i) the spouse and children of the person, and
 - (ii) the parents, grand-parents, brothers and sisters of the person if they are wholly or mainly dependent on the said person;
- (50) "fixed establishment" means a place (other than the registered place of business) which is characterised by a sufficient degree of permanence and suitable structure in terms of human and technical resources to supply services, or to receive and use services for its own needs;
- (51) "Fund" means the Consumer Welfare Fund established under section 57;
- (52) "goods" means every kind of movable property other than money and securities but includes actionable claim, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply;
- (53) "Government" means the Central Government;
- **(54)** "Goods and Services Tax (Compensation to States) Act" means the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017;
- **(55)** "goods and services tax practitioner" means any person who has been approved under section 48 to act as such practitioner;
- (56) "India" means the territory of India as referred to in article 1 of the Constitution, its territorial waters, seabed and sub-soil underlying such waters, continental shelf, exclusive economic zone or any other maritime zone as referred to in the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976), and the air space above its territory and territorial waters;
- (57) "Integrated Goods and Services Tax Act" means the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017;
- **(58) "integrated tax"** means the integrated goods and services tax levied under the Integrated Goods and Services Tax Act;
- **(59) "input"** means any goods other than capital goods used or intended to be used by a supplier in the course or furtherance of business;
- (60) "input service" means any service used or intended to be used by a supplier in the course or furtherance of business;
- (61) "Input Service Distributor" means an office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices issued under section 31 towards the receipt of input services and issues a prescribed document for the purposes of distributing the credit of central tax, State tax, integrated tax or Union territory tax paid on the said services to a supplier of taxable

goods or services or both having the same Permanent Account Number as that of the said office;

- (62) "input tax" in relation to a registered person, means the central tax, State tax, integrated tax or Union territory tax charged on any supply of goods or services or both made to him and includes
 - (a) the integrated goods and services tax charged on import of goods;
 - **(b)** the tax payable under the provisions of sub-sections (3) and (4) of section 9;
 - **(c)** the tax payable under the provisions of sub-section (3) and (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act;
 - **(d)** the tax payable under the provisions of sub-section (3) and (4) of section 9 of the respective State Goods and Services Tax Act; or
 - **(e)** the tax payable under the provisions of sub-section (3) and (4) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act,

but does not include the tax paid under the composition levy;

- (63) "input tax credit" means the credit of input tax;
- **(64) "intra-State supply of goods"** shall have the same meaning as assigned to it in section 8 of the Integrated Goods and Services Tax Act;
- (65) "intra-State supply of services" shall have the same meaning as assigned to it in section 8 of the Integrated Goods and Services Tax Act;
- (66) "invoice" or "tax invoice" means the tax invoice referred to in section 31;
- **(67) "inward supply"** in relation to a person, shall mean receipt of goods or services or both whether by purchase, acquisition or any other means with or without consideration;
- (68) "job work" means any treatment or process undertaken by a person on goods belonging to another registered person and the expression "job worker" shall be construed accordingly;
- (69) "local authority" means--
 - (a) a "Panchayat" as defined in clause (d) of article 243 of the Constitution;
 - **(b)** a "Municipality" as defined in clause (e) of article 243P of the Constitution;
 - (c) a Municipal Committee, a Zilla Parishad, a District Board, and any other authority legally entitled to, or entrusted by the Central Government or any State Government with the control or management of a municipal or local fund;
 - (d) a Cantonment Board as defined in section 3 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006);
 - **(e)** a Regional Council or a District Council constituted under the Sixth Schedule to the Constitution;

- (f) a Development Board constituted under article 371 ⁸[and article 371J] of the Constitution; or
- (g) a Regional Council constituted under article 371A of the Constitution;

(70) "location of the recipient of services" means,—

- **(a)** where a supply is received at a place of business for which the registration has been obtained, the location of such place of business;
- **(b)** where a supply is received at a place other than the place of business for which registration has been obtained (a fixed establishment elsewhere), the location of such fixed establishment;
- **(c)** where a supply is received at more than one establishment, whether the place of business or fixed establishment, the location of the establishment most directly concerned with the receipt of the supply; and
- **(d)** in absence of such places, the location of the usual place of residence of the recipient;

(71) "location of the supplier of services" means, —

- (a) where a supply is made from a place of business for which the registration has been obtained, the location of such place of business;
- **(b)** where a supply is made from a place other than the place of business for which registration has been obtained (a fixed establishment elsewhere), the location of such fixed establishment;
- **(c)** where a supply is made from more than one establishment, whether the place of business or fixed establishment, the location of the establishment most directly concerned with the provisions of the supply; and
- **(d)** in absence of such places, the location of the usual place of residence of the supplier;
- (72) "manufacture" means processing of raw material or inputs in any manner that results in emergence of a new product having a distinct name, character and use and the term "manufacturer" shall be construed accordingly;
- (73) "market value" shall mean the full amount which a recipient of a supply is required to pay in order to obtain the goods or services or both of like kind and quality at or about the same time and at the same commercial level where the recipient and the supplier are not related;
- (74) "mixed supply" means two or more individual supplies of goods or services, or any combination thereof, made in conjunction with each other by a taxable person for a single price where such supply does not constitute a composite supply,

⁶ Inserted by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 02/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019.

- **Illustration**. A supply of a package consisting of canned foods, sweets, chocolates, cakes, dry fruits, aerated drinks and fruit juices when supplied for a single price is a mixed supply. Each of these items can be supplied separately and is not dependent on any other. It shall not be a mixed supply if these items are supplied separately;
- (75) "money" means the Indian legal tender or any foreign currency, cheque, promissory note, bill of exchange, letter of credit, draft, pay order, traveller cheque, money order, postal or electronic remittance or any other instrument recognised by the Reserve Bank of India when used as a consideration to settle an obligation or exchange with Indian legal tender of another denomination but shall not include any currency that is held for its numismatic value;
- (76) "motor vehicle" shall have the same meaning as assigned to it in clause (28) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);
- (77) "non-resident taxable person" means any person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services or both, whether as principal or agent or in any other capacity, but who has no fixed place of business or residence in India;
- **(78) "non-taxable supply"** means a supply of goods or services or both which is not leviable to tax under this Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act;
- **(79) "non-taxable territory"** means the territory which is outside the taxable territory;
- **(80) "notification"** means a notification published in the Official Gazette and the expressions "notify" and "notified" shall be construed accordingly;
- **(81) "other territory"** includes territories other than those comprising in a State and those referred to in sub-clauses (a) to (e) of clause (114);
- **(82) "output tax"** in relation to a taxable person, means the tax chargeable under this Act on taxable supply of goods or services or both made by him or by his agent but excludes tax payable by him on reverse charge basis;
- (83) "outward supply" in relation to a taxable person, means supply of goods or services or both, whether by sale, transfer, barter, exchange, licence, rental, lease or disposal or any other mode, made or agreed to be made by such person in the course or furtherance of business;
- (84) "person" includes -
 - (a) an individual;
 - **(b)** a Hindu Undivided Family;
 - (c) a company;
 - **(d)** a firm;
 - (e) a Limited Liability Partnership;
 - **(f)** an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not, in India or outside India;

- **(g)** any corporation established by or under any Central Act, State Act or Provincial Act or a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- **(h)** any body corporate incorporated by or under the laws of a country outside India;
- a co-operative society registered under any law relating to co-operative societies;
- (j) a local authority;
- (k) Central Government or a State Government;
- (l) society as defined under the Societies Registration Act, 1860;
- (m) trust; and
- (n) every artificial juridical person, not falling within any of the above;
- (85) "place of business" includes
 - (a) a place from where the business is ordinarily carried on, and includes a warehouse, a godown or any other place where a taxable person stores his goods, supplies or receives goods or services or both; or
 - (b) a place where a taxable person maintains his books of account; or
 - **(c)** a place where a taxable person is engaged in business through an agent, by whatever name called;
- **(86)** "place of supply" means the place of supply as referred to in Chapter V of the Integrated Goods and Services Tax Act;
- **(87)** "prescribed" means prescribed by rules made under this Act on the recommendations of the Council;
- **(88)** "principal" means a person on whose behalf an agent carries on the business of supply or receipt of goods or services or both;
- **(89)** "principal place of business" means the place of business specified as the principal place of business in the certificate of registration;
- (90) "principal supply" means the supply of goods or services which constitutes the predominant element of a composite supply and to which any other supply forming part of that composite supply is ancillary;
- (91) "proper officer" in relation to any function to be performed under this Act, means the Commissioner or the officer of the central tax who is assigned that function by the Commissioner in the Board;
- (92) "quarter" shall mean a period comprising three consecutive calendar months, ending on the last day of March, June, September and December of a calendar year;
- (93) "recipient" of supply of goods or services or both, means
 - (a) where a consideration is payable for the supply of goods or services or both, the person who is liable to pay that consideration;
 - (b) where no consideration is payable for the supply of goods, the person to whom the goods are delivered or made available, or to whom possession or use of the goods is given or made available; and

- **(c)** where no consideration is payable for the supply of a service, the person to whom the service is rendered,
- and any reference to a person to whom a supply is made shall be construed as reference to the recipient of the supply and shall include an agent acting as such on behalf of the recipient in relation to the goods or services or both supplied;
- (94) "registered person" means a person who is registered under section 25 but does not include a person having a Unique Identity Number;
- (95) "regulations" means the regulations made by the Board under this Act on the recommendations of the Council;
- (96) "removal" in relation to goods, means
 - (a) despatch of the goods for delivery by the supplier thereof or by any other person acting on behalf of such supplier; or
 - **(b)** collection of the goods by the recipient thereof or by any other person acting on behalf of such recipient;
- **(97) "return"** means any return prescribed or otherwise required to be furnished by or under this Act or the rules made thereunder;
- (98) "reverse charge" means the liability to pay tax by the recipient of supply of goods or services or both instead of the supplier of such goods or services or both under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9, or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act;
- (99) "Revisional Authority" means an authority appointed or ⁹authorised for revision of decision or orders as referred to in section 108;
- (100) "Schedule" means a Schedule appended to this Act;
- (101) "securities" shall have the same meaning as assigned to it in clause (h) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);
- (102) "services" means anything other than goods, money and securities but includes activities relating to the use of money or its conversion by cash or by any other mode, from one form, currency or denomination, to another form, currency or denomination for which a separate consideration is charged;
 - 10 [Explanation For the removal of doubts, it is hereby clarified that the expression "services" includes facilitating or arranging transactions in securities;]
- (103) "State" includes a Union territory with Legislature;

⁹ **Notification No. 5/2020-Central Tax, dt. 13-01-2020**–Authorisation of Principal Commissioner, Commissioner, Additional or Joint Commissioner.

Explanation inserted by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 02/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019.

- (104) "State tax" means the tax levied under any State Goods and Services Tax Act;
- (105) "supplier" in relation to any goods or services or both, shall mean the person supplying the said goods or services or both and shall include an agent acting as such on behalf of such supplier in relation to the goods or services or both supplied;
- (106) "tax period" means the period for which the return is required to be furnished;
- (107) "taxable person" means a person who is registered or liable to be registered under section 22 or section 24;
- (108) "taxable supply" means a supply of goods or services or both which is leviable to tax under this Act;
- **(109)** "taxable territory" means the territory to which the provisions of this Act apply;
- (110) "telecommunication service" means service of any description (including electronic mail, voice mail, data services, audio text services, video text services, radio paging and cellular mobile telephone services) which is made available to users by means of any transmission or reception of signs, signals, writing, images and sounds or intelligence of any nature, by wire, radio, visual or other electromagnetic means;
- (111) "the State Goods and Services Tax Act" means the respective State Goods and Services Tax Act, 2017;
- (112) "turnover in State" or "turnover in Union territory" means the aggregate value of all taxable supplies (excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis) and exempt supplies made within a State or Union territory by a taxable person, exports of goods or services or both and inter-State supplies of goods or services or both made from the State or Union territory by the said taxable person but excludes central tax, State tax, Union territory tax, integrated tax and cess;
- (113) "usual place of residence" means
 - (a) in case of an individual, the place where he ordinarily resides;
 - **(b)** in other cases, the place where the person is incorporated or otherwise legally constituted;
- (114) "Union territory" means the territory of
 - (a) the Andaman and Nicobar Islands;
 - **(b)** Lakshadweep;
 - ¹¹[(c) Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;

Clause (c) and (d) substituted by Finance Act, 2020 (No. 12 of 2020) w.e.f. 30-06-2020 by Noti. No. 49/2020–Central Tax, dt. 24-06-2020. Earlier to substitution it read as under:

[&]quot;(c) Dadra and Nagar Haveli;

- (d) Ladakh;]
- (e) Chandigarh; and
- (f) other territory.

Explanation. —For the purposes of this Act, each of the territories specified in sub clauses (a) to (f) shall be considered to be a separate Union territory;

- (115) "Union territory tax" means the Union territory goods and services tax levied under the Union Territory Goods and Services Tax Act;
- **(116)** "Union Territory Goods and Services Tax Act" means the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017;
- (117) "valid return" means a return furnished under sub-section (1) of section 39 on which self-assessed tax has been paid in full;
- (118) "voucher" means an instrument where there is an obligation to accept it as consideration or part consideration for a supply of goods or services or both and where the goods or services or both to be supplied or the identities of their potential suppliers are either indicated on the instrument itself or in related documentation, including the terms and conditions of use of such instrument;
- (119) "works contract" means a contract for building, construction, fabrication, completion, erection, installation, fitting out, improvement, modification, repair, maintenance, renovation, alteration or commissioning of any immovable property wherein transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) is involved in the execution of such contract;
- (120) words and expressions used and not defined in this Act but defined in the Integrated Goods and Services Tax Act, the Union Territory Goods and Services Tax Act and the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act shall have the same meaning as assigned to them in those Acts;
- (121) ¹²[****]

⁽d) Daman and Diu;"

¹² Omitted by the Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of Central Laws) Order, 2020 w.e.f. 18-03-2020.

धारा 2: परिभाषाएं

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (1) "अनुयोज्य दावे" का वही अर्थ होगा, जो सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 3 में उसका है:
- (2) "परिदान का पता" से माल या सेवाओं या दोनों के पाने वाले का ऐसा पता अभिप्रेत है, जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के परिदान के लिए किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कर बीजक पर उपदर्शित है;
- (3) "अभिलेख पर पता" से पाने वाले का वह पता अभिप्रेत है, जो पूर्तिकार अभिलेखों में उपलब्ध है;
- (4) "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" से अधिनियम के अधीन कोई आदेश या विनिश्चय करने के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है, किन्तु इसके अंतर्गत ¹[केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड], पुनरीक्षण प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण, अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण], ³[धारा 171 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण और प्राधिकारी] नहीं है;
- (5) "अभिकर्ता" से फेक्टर, दलाल, कमीशन अभिकर्ता, आढ़ितया, प्रत्यायक अभिकर्ता (डेल क्रेडेर एजेंट), किसी नीलामकर्ता या किसी अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, सिहत कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या प्राप्ति का कारबार करता है;
- (6) "सकल आवर्त" से सभी कराधेय पूर्तियों (ऐसे आवक पूर्तियों के मूल्य को अपवर्जित करके, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है), छूट—प्राप्त पूर्तियों, माल या सेवाओं या दोनों के निर्यातों और सामान स्थायी खाता संख्यांक वाले व्यक्तियों के अंतरराज्यिक पूर्तियों का अखिल भारतीय आधार पर संगणित किया जाने वाला सकल मूल्य अभिप्रेत है, किन्तु इसमें केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर सम्मिलित नहीं है;
- (7) ''कृषक'' से ऐसा कोई व्यष्टि या कोई हिन्दू अविभक्त कृटुम्ब अभिप्रेत है, जो-
 - (क) स्वयं के श्रम द्वारा; या
 - (ख) कुटुम्ब के श्रम द्वारा; या
 - (ग) व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन या कुटुम्ब के किसी सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन नकद या वस्तु के रूप में संदेय मजदूरी पर सेवकों द्वारा या भाड़े के मजदूरों द्वारा, भिम पर खेती करता है:

¹ सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा "केन्द्रीय उत्पाद—शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

² वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 23 का 2019) द्वारा अंतः स्थापित। प्रभावशील तिथि अधिसूचित की जावेगी।

³ सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा "अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण" के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

- (8) अपील प्राधिकारी" से धारा 107 में, अपीलों की सुनवाई के लिए नियुक्त या प्राधिकृत यथा निर्दिष्ट कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (9) ''अपील अधिकरण'' से धारा 109 के अधीन गठित माल और सेवा कर अपील अधिकरण अभिप्रेत हैं:
- (10) "नियत दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे;
- (11) ''निर्धारण'' से इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्व का अवधारण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत स्वनिर्धारण, पुनःनिर्धारण, अनंतिम निर्धारण, संक्षिप्त निर्धारण और सर्वोत्तम विवेक के अनुसार निर्धारण भी है;
- (12) ''सहयुक्त उद्यमों'' का वही अर्थ होगा, जो आय—कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 92क में उसका है;
- (13) ''संपरीक्षा'' से घोषित आवर्त, संदत्त करों, दावाकृत प्रतिदाय और उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की शुद्धता को और उसके द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा बनाए रखे गए या प्रस्तुत किए गए अभिलेखों, विवरणियों और अन्य दस्तावेजों की परीक्षा अभिप्रेत हैं:
- (14) "प्राधिकृत बैंक" से इस अधिनियम के अधीन संदेय कर या किसी अन्य रकम का संग्रहण करने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई बैंक या किसी बैंक की कोई शाखा अभिप्रेत है;
- (15) ''प्राधिकृत प्रतिनिधि'' से धारा 116 के अधीन यथा निर्दिष्ट प्रतिनिधि अभिप्रेत है;
- (16) ''बोर्ड'' से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित ⁴[केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड] अभिप्रेत है;
- (17) ''कारबार'' में निम्नलिखित सम्मिलित है,-
 - (क) कोई व्यापार, वाणिज्यि, विनिर्माण, वृत्ति, व्यवसाय, प्रोद्यम, पंद्यम् या उसी प्रकार का कोई अन्य क्रियाकलाप, चाहे वह किसी धनीय फायदे के लिए हो या न हो;
 - (ख) उपखंड (क) के संबंध में या उसके आनुषांगिक या प्रासंगिक कोई क्रियाकलाप या संव्यवहारः
 - (ग) उपखंड (क) की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार, चाहे ऐसे संव्यवहार का कोई परिमाण, आवृत्ति, निरंतरता या नियमितता हो या न हो;
 - (घ) कारबार के प्रारंभ या उसकी बंदी के संबंध में पूंजी माल और सेवाओं सहित माल की पूर्ति या अर्जन;
 - (इ) किसी क्लब, संगम, सोसाइटी या किसी ऐसे निकाय द्वारा उसके सदस्यों के लिए (किसी अभिदान या किसी अन्य प्रतिफल के लिए) सुविधाओं या फायदों की कोई व्यवस्था;
 - (च) किसी परिसर में किसी प्रतिफलार्थ व्यक्तियों का प्रवेश;
 - (छ) किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे पदधारक के रूप में, जो उसने अपने व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए स्वीकार किया है, प्रदान की गई सेवाएं:

⁴ वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 13) द्वारा "केन्द्रीय उत्पाद—शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

- (ज) ⁵[किसी घुड़दौड़ क्लब द्वारा योगक या अनुज्ञप्ति के माध्यम से बुक मेकर को उपलब्ध कराई गई सेवाएं या किसी अनुज्ञप्तिधारी बुक मेकर की ऐसे क्लब को सेवाएं: और]
- (झ) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई ऐसा क्रियाकलाप या संव्यवहार, जिसमें वे लोक प्राधिकारियों के रूप में लगे हुए हैं;
- (18) ⁶[.....];
- (19) ''पूंजी माल'' से ऐसे माल अभिप्रेत है, जिनका मूल्य इनपुट कर प्रत्यय का दावा करने वाले व्यक्ति की लेखा बहियों में पूंजीकृत है और जिनका कारबार के अनुक्रम या उसे अग्रसर करने में उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है;
- (20) "नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में जहां उसके कारबार का कोई नियत स्थान नहीं है, प्रधान, अभिकर्ता या किसी अन्य हैसियत में कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने में यदाकदा ऐसे संव्यवहार करता है, जिनमें माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अंतर्वलित है;
- (21) ''केन्द्रीय कर'' से धारा 9 के अधीन उद्गृहीत केन्द्रीय माल और सेवा कर अभिप्रेत है;
- (22) ''उपकर'' का वही अर्थ होगा, जो माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम में उसका है;
- (23) ''चार्टर्ड अकाउंटेट'' से चार्टर्ड अकाउंटेट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथा परिभाषित चार्टर्ड अकाउंटेट अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरणः इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कारक, जिन पर यह अवधारण करने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि क्या ऐसा माल या सेवाएं संबंधित हैं या नहीं, निम्नलिखित हैं–

- (क) माल या सेवाओं की प्रकृति;
- (ख) उत्पादन प्रक्रियाओं की प्रकृति;
- (ग) माल या सेवाओं के ग्राहकों का प्रकार या वर्ग;
- (घ) माल के वितरण या सेवाओं के वितरण में प्रयुक्त पद्यतियां; और
- (ड.) विनियामक पर्यावरण की प्रकृति (जहां कहीं लागू है), इसके अंतर्गत बैंककारी, बीमा या लोक उपयोगिताएं है:"

⁵ वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा उपखंड (ज) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थाः

⁽ज) किसी घुड़दौड़ क्लब द्वारा, योगक के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं या ऐसे क्लब में बुक-मेकर की अनुज्ञप्ति: और

वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा उपधारा (18) विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया। विलोपन के पूर्व उपधारा (18) इस प्रकार थीः

[&]quot;(18) "कारबार शीर्षका" से किसी उद्यम का ऐसा विशिष्ट संघटक अभिप्रेत है, जो ऐसे व्यष्टिक, माल या सेवाओं या ऐसे संबंधित माल या सेवाओं के समूह की पूर्ति में लगा हुआ है, जो ऐसे जोखिमों और प्रत्यागमों के अध्यधीन है, जो अन्य कारबार शीर्षकाओं के जोखिमों और प्रत्यागमों से भिन्न है।

- (24) "आयुक्त" से केन्द्रीय कर आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 3 के अधीन नियुक्त केन्द्रीय कर प्रधान आयुक्त और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त एकीकृत कर आयुक्त भी है;
- (25) ''बोर्ड में का आयुक्त'' से धारा 168 में निर्दिष्ट आयुक्त अभिप्रेत है;
- (26) ''सामान्य पोर्टल'' से धारा 146 में निर्दिष्ट समान माल और सेवा कर इलैक्ट्रोनिक पोर्टल अभिप्रेत है:
- (27) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "सामान्य कार्य दिवसों" से ऐसे आनुक्रमिक दिन अभिप्रेत हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार या संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा राजपत्रित छुट्टी के रूप में घोषित नहीं किया गया है;
- (28) ''कंपनी सचिव'' से कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथा परिभाषित कंपनी सचिव अभिप्रेत है;
- (29) ''सक्षम प्राधिकारी'' से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए:
- (30) ''संयुक्त पूर्ति'' से किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को की गई कोई पूर्ति अभिप्रेत हैं, जो माल या सेवाओं या दोनों के दो या अधिक कराधेय पूर्तियों से मिलकर बनी है या उनका कोई ऐसा समुच्चय है, जिन्हें कारबार के साधारण अनुक्रम में एक दूसरे के साथ संयोजन में प्रकृतितः बांधा गया है और उनकी पूर्ति प्रदाय की गई है, जिनमें एक मूल पुर्ति है;
 - दृष्टांत. जहां माल को पैक और बीमा के साथ उसका परिवहन किया जाता है, वहां माल की पूर्ति, पैकिंग सामग्री, परिवहन और बीमा संयुक्त पूर्ति है और माल की पूर्ति एक मुख्य पूर्ति होगी;

- (31) माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में "प्रतिफल" के अंतर्गत निम्नलिखित भी है,—
 - (क) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनकी उत्प्रेरणा के लिए, चाहे धन के रूप में या अन्यथा किया गया या किया जाने वाला कोई संदाय, किन्तु इसमें केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सहायिकी सम्मिलत नहीं होगी;
 - (ख) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनकी उत्प्रेरणा के लिए, किसी कार्य या प्रविरित का धनीय मूल्य, किन्तु इसमें केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सहायिकी सम्मिलित नहीं होगी:

परंतु माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में दिये गये निक्षेप को ऐसे पूर्ति के लिये किए गये संदाय के रूप में तब तक नहीं समझा जायेगा जब तक की प्रदायकर्ता ऐसे निक्षेप का, उक्त पूर्ति के लिये प्रतिफल के रूप में उपयोजन नहीं करता है;

- (32) 'माल की निरंतर पूर्ति'' से माल की ऐसी पूर्ति अभिप्रेत है, जो किसी संविदा के अधीन तार, केबल पाइपलाईन या अन्य निलंका के माध्यम से या अन्यथा, निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध कराई जाए या उपलब्ध कराने के लिए करार पाई जाए और जिसके लिए नियमित या आविधक आधार पर पूर्तिकार, प्राप्तिकर्ता के लिए बीजक बनाता है और इसके अंतर्गत ऐसे माल की पूर्ति भी है जो सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली शर्तों के अधीन रहते हुए, विनिर्दिष्ट करें;
- (33) ''सेवाओं की निरंतर पूर्ति'' से सेवाओं की ऐसी पूर्ति अभिप्रेत है, जो किसी संविदा के अधीन आविधक संदाय की बाध्यताओं के साथ तीन मास से अधिक की अविध के लिए निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध कराई जाए या उपलब्ध कराने के लिए करार पाई जाए और इसके अंतर्गत ऐसी सेवाओं का, जो सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली शर्तों के अधीन रहते हुए, विनिर्दिष्ट करें;
- (34) "प्रवहरण" के अंतर्गत कोई जलयान, वायुयान और यान भी है;
- (35) ''लागत लेखापाल'' से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 2 की उपधारा (1) के ⁷[खंड (ख)] में यथा परिभाषित कोई लागत लेखापाल अभिप्रेत हैं:
- (36) ''परिषद्'' से संविधान के अनुच्छेद 279क के अधीन स्थापित माल और सेवा कर परिषद् अभिप्रेत हैं:
- (37) ''जमा पत्र'' से धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कोई दस्तावेज अभिप्रेत है;

⁷ सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा 'खंड (ग)'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसकों दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

- (38) ''नामे नोट'' से धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कोई दस्तावेज अभिप्रेत है;
- (39) ''समझा गया निर्यात'' से माल का ऐसी पूर्ति अभिप्रेत है, जिसे धारा 147 के अधीन अधिसूचित किया जाए;
- (40) "अभिहित प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए
- (41) ''दस्तावेज'' के अंतर्गत किसी प्रकार का लिखित या मुद्रित अभिलेख और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खंड (न) में यथा परिभाषित इलैक्ट्रोनिक अभिलेख भी है;
- (42) भारत में विनिर्मित और निर्यात किए गए किसी माल के संबंध में ''चुंगी वापसी'' से ऐसे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी आयातित इनपुटों पर या किसी देशी इनपुटों या इनपुट सेवाओं पर प्रभार्य शुल्क, कर या उपकर का रिबेट अभिप्रेत हैं;
- (43) ''इलैक्ट्रोनिक नकद खाते'' से धारा 49 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट इलैक्ट्रोनिक नकद खाता अभिप्रेत है;
- (44) "इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य" से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत डिजिटल या इलैक्ट्रोनिक नेटवर्क पर के डिजिटल उत्पाद भी है;
- (45) ''इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो इलैक्ट्रोनिक वाणिज्यि के लिए किसी डिजिटल या इलैक्ट्रोनिक सुविधा या प्लैटफार्म पर स्वामित्व रखता हो, उसका प्रचालन या प्रबंध करता हो;
- (46) ''इलैक्ट्रोनिक जमा खाते'' से धारा 49 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट इलैक्ट्रोनिक जमा खाता अभिप्रेत है:
- (47) "छूट—प्राप्त पूर्ति" से ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अभिप्रेत है, जिस पर एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 6 या धारा 11 के अधीन कर की दर शुन्य हो या जो कर से पूर्णतया छूट—प्राप्त हो इसके अंतर्गत गैर—कराधेय पूर्ति भी है;
- (48) ''विद्यमान विधि'' से माल या सेवाओं या दोनों पर शुल्क या कर के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित कोई ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले संसद् या ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम बनाने की शक्ति रखने वाले किसी प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा पारित किया गया है या बनाया गया है:
- (49) ''कुटुंब'' से अभिप्रेत है:-
 - (i) व्यक्ति का पति या पत्नी और बालक; और
 - (ii) व्यक्ति के माता-पिता, पितामह-पितामही, मातामह-मातामही, भाई और बहन, यदि वे पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से उक्त व्यक्ति पर आश्रित हो;
- (50) "स्थिर स्थापन" से (कारबार के रिजस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न) कोई ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जिसकी अपनी स्वयं की आवश्यकताओं के लिए सेवाओं की पूर्ति करने या सेवाएं प्राप्त करने और उनका उपयोग करने के लिए मानव और तकनीकी संसाधनों के निबंधनानुसार स्थायित्व और उपयुक्त संरचना की पर्याप्त डिग्री द्वारा विशिष्टता का वर्णन किया गया है;
- (51) ''निधि'' से धारा 57 के अधीन स्थापित उपभोक्ता कल्याण निधि अभिप्रेत है;
- (52) ''माल'' से धन और प्रतिभूतियों से भिन्न प्रत्येक प्रकार की जंगम संपत्ति अभिप्रेत है, किन्तु इसमें अनुयोज्य दावे, उगती फसलें, घास और भूमि से जुड़ी हुई या उसके भागरूप ऐसी

वस्तुएं सिम्मिलित हो, जिन्हें पूर्ति के पूर्व या पूर्ति की संविदा के अधीन पृथक किया जाना तय पाया गया है;

- (53) ''सरकार'' से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;
- (54) ''माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम'' से माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;
- (55) ''माल और सेवा कर व्यवसायी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका धारा 48 के अधीन ऐसे व्यवसायी के रूप में कार्य करने के लिए अनुमोदन किया गया है;
- (56) ''भारत'' से संविधान के अनुच्छेद 1 में यथा निर्दिष्ट भारत का राज्यक्षेत्र, उसका राज्यक्षेत्रीय सागर—खंड, सागर तल, राज्यक्षेत्रीय सागर—खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) में यथा निर्दिष्ट ऐसे सागर—खंडों, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या किसी अन्य सामुद्रिक क्षेत्र के नीचे की अवमृदा और उसके राज्यक्षेत्र और राज्यक्षेत्रीय सागर—खंडों के ऊपर का आकाशी क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (57) ''एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम'' से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है:
- (58) ''एकीकृत कर'' से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्गृहीत एकीकृत माल और सेवा कर अभिप्रेत है:
- (59) "इनपुट" से कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने में किसी पूर्तिकार द्वारा उपयोग किए गए या उपयोग किए जाने के लिए आशयित पूंजी माल से भिन्न कोई माल अभिप्रेत है;
- (60) ''इनपुट सेवा'' से कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने में किसी पूर्तिकार द्वारा उपयोग की गई या उपयोग किए जाने के लिए आशयित कोई सेवा अभिप्रेत है;
- (61) "इनपुट सेवा वितरक" से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तिकार का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे धारा 31 के अधीन जारी कर बीजक प्राप्त करता है और उक्त कार्यालय के समान स्थायी खाता संख्यांक रखने वाले कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तिकार को उक्त सेवाओं पर संदत्त केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के प्रत्यय का वितरण करने के प्रयोजनों के लिए कोई विहित दस्तावेज जारी करता है;
- (62) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में "इनपुट कर" से उसे की गई माल या सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति पर प्रभारित केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र कर अभिप्रेत हो और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हो—
 - (क) माल के आयात पर प्रभारित एकीकृत माल और सेवा कर;
 - (ख) धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर;
 - (ग) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) और उपधारा(4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर;

- (घ) संबंधित राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर;
- (ड.) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर;

किन्तु इसमें प्रशमन उद्ग्रहण के अधीन संदत्त कर सम्मिलित नहीं है;

- (63) "इनपुट कर प्रत्यय" से इनपुट कर का प्रत्यय अभिप्रेत है;
- (64) ''माल की राज्य के भीतर पूर्ति'' का वही अर्थ होगा, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 8 में उसका है;
- (65) ''सेवाओं की राज्य के भीतर पूर्ति'' का वही अर्थ होगा, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 8 में उसका है;
- (66) 'बीजक'' या ''कर बीजक'' से धारा 31 में निर्दिष्ट कर बीजक अभिप्रेत है;
- (67) किसी व्यक्ति के संबंध में "आवक पूर्ति" से क्रय, अर्जन या किसी अन्य साधन द्वारा प्रतिफल के साथ या उसके बिना माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति अभिप्रेत है;
- (68) ''जॉब कार्य'' से किसी अन्य रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति के माल पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई उपचार या की गई प्रक्रिया अभिप्रेत है और ''जॉब कर्मकार'' पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;
- (69) ''स्थानीय प्राधिकारी'' से निम्न अभिप्रेत हैं,-
 - (क) संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (घ) में यथा परिभाषित कोई पंचायत;
 - (ख) संविधान के अनुच्छेद 243त के खंड (ड.) में यथा परिभाषित कोई नगरपालिका;
 - (ग) कोई नगरपालिका समिति और कोई जिला परिषद्, जिला बोर्ड और कोई अन्य प्राधिकारी, जो नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबंध करने के लिए विधिक रूप से हकदार है या जिसे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबंध सौंपा गया है;
 - (घ) छावनी अधिनियम, २००६ (२००६ का ४१) की धारा 3 में यथा परिभाषित छावनी बोर्ड;
 - (ड.) संविधान की छठी अनुसूची के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद् या कोई जिला परिषद:
 - (च) संविधान के अनुच्छेद 371 ⁸[और अनुच्छेद 371ञ] के अधीन गठित कोई विकास बोर्ड: या
 - (छ) संविधान के अनुच्छेद 371क के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद;

(70) ''सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान'' से,-

- (क) जहां पूर्ति कारबार के ऐसे स्थान पर प्राप्त की जाती है, जिसके लिए रिजस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;
- (ख) जहां पूर्ति कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान पर प्राप्त की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (स्थिर स्थापन अन्यत्र है), वहां ऐसे स्थिर स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;

⁸ सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा अंतः स्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

- (ग) जहां पूर्ति एक से अधिक स्थापनों पर प्राप्त की जाती है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या स्थिर स्थापन, वहां पूर्ति की प्राप्ति से सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;
- (घ) ऐसे स्थानों के अभाव में प्राप्तिकर्ता के प्रायिक निवास का स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है:

(71) ''सेवाओं के पूर्तिकार का अवस्थान'' से,-

- (क) जहां पूर्ति कारबार के ऐसे स्थान से की जाती है, जिसके लिए रिजस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;
- (ख) जहां पूर्ति कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान से की जाती है, जिसके लिए रिजस्ट्रीककरण अभिप्राप्त किया गया है (स्थिर स्थापन अन्यत्र है), वहां ऐसे स्थिर स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;
- (ग) जहां पूर्ति एक से अधिक स्थापनों से की जाती है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या स्थिर स्थापन है, वहां प्रदाय की व्यवस्था से सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;
- (घ) ऐसे स्थानों के अभाव में पूर्तिकार के प्रायिक निवास स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;
- (72) "विनिर्माण" से कच्ची सामग्री या इनपुटों का ऐसी रीति से प्रसंस्करण अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप सुभिन्न नाम, स्वरूप और उपयोग वाले एक नए उत्पाद का आविर्भाव होता है और "विनिर्माता" पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा;
- (73) ''बाजार मूल्य'' से ऐसी पूरी रकम अभिप्रेत होगी, जिसकी पूर्ति के प्राप्तिकर्ता से, वैसे ही प्रकार और क्वालिटी के माल या सेवाओं या दोनों को, उसी समय पर या उसके आस—पास और जहां प्राप्तिकर्ता और पूर्तिकार संबंधित नहीं हैं, वहां उसी वाणिज्यिक स्तर पर अभिप्राप्त करने के लिए संदाय किए जाने की अपेक्षा होती है;
- (74) "मिश्रित पूर्ति" से किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, किसी एकल कीमत के लिए माल या सेवाओं की या उसके किसी ऐसे समुच्चय की, जो परस्पर सहयोजन से बनाया गया है, दो या अधिक पृथक—पृथक पूर्तियां अभिप्रेत हैं, जहां ऐसी पूर्ति से कोई संयुक्त पूर्ति गठित नहीं होती है:
 - दृष्टांत. डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों, मिठाई, चॉकलेट, केक, मेवा, वातित पेय और फल के जूस को मिलाकर बनाये गये पैकेज की पूर्ति, जब वह किसी एकल कीमत के लिये की गई है, तो वह पूर्ति मिश्रित पूर्ति होगी। इन मदों में से प्रत्येक मद की अलग—अलग भी पूर्ति की जा सकती है और वह किसी अन्य पर निर्भर नहीं होगी। यदि इन मदों की अलग—अलग पूर्ति की जाती है तो वह मिश्रित पूर्ति नहीं होगी;
- (75) "धन" से भारतीय विधिमान्य मुद्रा या कोई विदेशी करेंसी, चेक, वचनपत्र, विनिमय पत्र, मुजरा पत्र, ड्राफ्ट, संदाय आदेश, यात्री चेक, मनी आर्डर, डाक या इलैक्ट्रोनिक विप्रेषणादेश या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य लिखित अभिप्रेत है, जब उसका उपयोग किसी बाध्यता के परिनिर्धारण के लिए या किसी अन्य अंकित मूल्य की भारतीय विधिमान्य मुद्रा से विनिमय के प्रतिफल के रूप में किया जाता है, किन्तु इसमें कोई ऐसी करेंसी सम्मिलित नहीं होगी, जिसे उसके मुद्रा विषयक मूल्य के लिए धारित किया जाता है:
- (76) ''मोटर यान'' का वही अर्थ होगा, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (28) में उसका है;

- (77) "अनिवासी कराधेय व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो यदाकदा, प्रधान या अभिकर्ता के रूप में या किसी अन्य हैसियत में ऐसे संव्यवहार करता है जिनमें माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अंतर्वलित है, किन्तु जिसका भारत में कारबार का कोई नियत स्थान या कोई निवास स्थान नहीं है;
- (78) "गैर-कराधेय प्रदाय" से माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कर से उदग्रहणीय नहीं है:
- (79) "गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र" से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जो कराधेय राज्यक्षेत्र से बाहर है;
- (80) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" और "अधिसूचित" पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;
- (81) "अन्य राज्यक्षेत्र" में ऐसे राज्यक्षेत्रों से भिन्न राज्यक्षेत्र सम्मिलित हैं, जो किसी राज्य में समाविष्ट हैं और जो खंड (114) के उपखंड (क) से उपखंड (ड.) में निर्दिष्ट हैं;
- (82) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में "आउटपुट कर" से उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य कर अभिप्रेत है, किन्तु इसमें प्रतिलोम प्रभार के आधार पर उसके द्वारा संदेय कर को सिमलित नहीं है;
- (83) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में "जावक प्रदाय" से किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने में किया गया या किए जाने के लिए करार पाया गया माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अभिप्रेत है, चाहे वह विक्रय, अंतरण, वस्तु—विनिमय, विनिमय, अनुज्ञप्ति, भाटक, पट्टा या कि व्ययन या किसी भी अन्य रीति से की गई हो;
- (84) ''व्यक्ति'' के अंतर्गत निम्नलिखित हैं-
 - (क) कोई व्यष्टि;
 - (ख) कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब;
 - (ग) कोई कंपनी;
 - (घ) कोई फर्म;
 - (ड) कोई सीमित दायित्व भागीदारी;
 - (च) व्यक्तियों का कोई संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे भारत में या भारत के बाहर निगमित हो या न हो;
 - (छ) किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) में यथा परिभाषित कोई सरकारी कंपनी;
 - (ज) भारत के बाहर किसी देश की विधि द्वारा या उसके अधीन निगमित कोई निगमित निकायः
 - (झ) सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रिजस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी:
 - (**ञ**) कोई स्थानीय प्राधिकारी:
 - (ट) केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार;
 - (ठ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन यथा परिभाषित सोसाइटी:
 - (ड़) न्यास; और
 - (ढ) प्रत्येक ऐसा कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो उपरोक्त किसी के अंतर्गत नहीं आता है;
- (85) ''कारबार के स्थान'' के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,-

- (क) वह स्थान, जहां से सामान्य रूप से कारबार किया जाता है और इसके अंतर्गत कोई भांडागार, गोदाम या कोई अन्य स्थान भी है, जहां कराधेय व्यक्ति अपने माल का भंडारण करता है, माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करता है या प्राप्त करता है; या
- (ख) वह स्थान, जहां कराधेय व्यक्ति अपनी लेखा बहियों को अनुरक्षित रखता है; या
- (ग) वह स्थान, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, किसी अभिकर्ता के माध्यम से, चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो, कारबार में लगा हुआ है;
- (86) "पूर्ति का स्थान" से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अध्याय 5 में यथा निर्दिष्ट पूर्ति का स्थान अभिप्रेत है;
- (87) ''विहित'' से परिषद् की सिफारिशों पर इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (88) ''प्रधान'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी ओर से कोई अभिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या प्राप्ति का कारबार करता है;
- (89) "कारबार का प्रधान स्थान" से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में कारबार के प्रधान स्थान के रूप में विनिर्दिष्ट कारबार का स्थान अभिप्रेत है;
- (90) ''मूल पूर्तिं'' से ऐसे माल या सेवाओं का पूर्ति अभिप्रेत हैं, जिससे किसी संयुक्त पूर्ति के प्रधान कारक का गठन होता है और जिसके लिए उस संयुक्त पूर्ति के भागरूप कोई अन्य पूर्ति आनुषंगिक है;
- (91) इस अधिनियम के अधीन पालन किए जाने वाले किसी कृत्य के संबंध में "उचित अधिकारी" से केन्द्रीय कर का ऐसा आयुक्त या अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे बोर्ड के आयुक्त द्वारा वह कृत्य सौंपा गया है;
- (92) ''तिमाही'' से ऐसी अवधि अभिप्रेत है, जिसमें किसी कलैण्डर वर्ष के मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले तीन क्रमवर्ती कलैण्डर मास समाविष्ट हों:
- (93) माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति के "पूर्तिकार" से,-
 - (क) जहां माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए कोई प्रतिफल संदेय है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उस प्रतिफल के संदाय का दायी है;
 - (ख) जहां माल की पूर्ति के लिए कोई प्रतिफल संदेय नहीं हैं, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसको माल की पूर्ति की गई है या उपलब्ध कराया गया है या जिसे माल का कब्जा या माल को उपयोग के लिए दिया गया है या उपलब्ध कराया गया है;
 - (ग) जहां किसी सेवा की पूर्ति के लिए प्रतिफल का संदाय नहीं किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे सेवाएं दी जाती हैं;

और किसी ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिर्देश का, जिसे पूर्ति की गई है, पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा और इसके अंतर्गत पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में प्राप्तिकर्ता की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता भी होगा।

- (94) ''रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, किन्तु इसमें विशिष्ट पहचान संख्यांक वाला कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं है;
- (95) ''विनिमय'' से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर बनाए गए विनिमय अभिप्रेत हैं:
- (96) माल के संबंध में "हटाए जाने" से,-
 - (क) उसके पूर्तिकार द्वारा ऐसे पूर्तिकार की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिदान के लिए माल का प्रेषण अभिप्रेत है; या

- (ख) उसके प्राप्तिकर्ता द्वारा या ऐसे प्राप्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल का संग्रहण अभिप्रेत है;
- (97) ''विवरणी'' से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन दिए जाने के लिए विहित या अन्यथा अपेक्षित कोई विवरणी अभिप्रेत हैं:
- (98) ''प्रतिलोम प्रभार'' से धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार की बजाय माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा संदाय का दायित्व अभिप्रेत है;
- (99) ''पुनरीक्षण प्राधिकारी'' से धारा 108 में यथा निर्दिष्ट विनिश्चय या आदेशों के पुनरीक्षण के लिए नियुक्त या ⁹प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (100) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (101) ''प्रतिभृति'' का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (ज) में उसका है;
- (102) ''सेवाओं'' से माल, धन और प्रतिभूतियों से भिन्न कुछ भी अभिप्रेत है, किन्तु इसमें धन का उपयोग या नकद या किसी अन्य पद्धित से एक करेंसी या अंकित मूल्य का किसी अन्य रूप, करेंसी या अंकित मूल्य में उसका ऐसा संपरिवर्तन, जिसके लिए पृथक प्रतिफल प्रभारित हो, से संबंधित क्रियाकलाप सम्मिलित हैं;
 - 10[स्पष्टीकरण: शंकाओं के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि "सेवा" पद में प्रतिभूतियों में संव्यवहारों को सुकर बनाना या प्रबंध करना सम्मिलित है।]
- (103) ''राज्य'' में विधान-मण्डल वाला संघ राज्यक्षेत्र सम्मिलित है;
- (104) ''राज्य कर'' से किसी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्गृहीत कर अभिप्रेत है:
- (105) माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में ''पूर्तिकार'' से उक्त माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत होगा और इसमें पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में ऐसे पूर्तिकार की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता सिमलित होगा:
- (106) "कर अवधि" से ऐसी अवधि अभिप्रेत है, जिसके लिए विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा है;
- (107) ''कराधेय व्यक्ति'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी है;
- (108) ''कराधेय पूर्ति'' से ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्ग्रहणीय है;
- (109) ''कराधेय राज्यक्षेत्र'' से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं:
- (110) "दूर—संचार सेवा" से किसी वर्णन की ऐसी सेवा अभिप्रेत है, (जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रोनिक मेल, वायस मेल, डाटा सर्विस, ऑडियो टैक्स्ट सर्विस, वीडियो टैक्स्ट सर्विस, रेडियो पैजिंग और सेल्यूलर मोबाईल टेलीफोन सेवाएं भी हैं) जो उपयोक्ता को किसी संकेत, सिग्नल, लेख, आकृति, और ध्विन के पारेषण या प्रापण या किसी प्रकृति की आसूचना के

अधिसूचना क्रमांक 05/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 13.01.2020 देखिए। प्रधान आयुक्त, आयुक्त अपर या संयुक्त आयुक्त का प्राधिकरण

¹⁰ सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

माध्यम से तार, रेडियो, दृश्य या अन्य इलैक्ट्रोमैग्नेटिक साधनों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है:

- (111) ''राज्य माल और सेवा कर अधिनियम'' से संबंधित राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है:
- (112) "राज्य में के आवर्त" या "संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त" से किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर की गई (ऐसी आवक पूर्तियों के मूल्य को अपवर्जित करते हुए, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदेय हैं) सभी कराधेय पूर्तियों और छूट—प्राप्त पूर्तियों, उक्त कराधेय व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के निर्यात और राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से की गई माल या सेवाओं या दोनों की अंतरराज्यिक पूर्ति का संकलित मूल्य अभिप्रेत है, किन्तु इसमें केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर सिम्मिलित नहीं हैं;
- (113) ''प्रायिक निवास स्थान'' से,-
 - (क) किसी व्यष्टि की दशा में ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है;
 - (ख) अन्य दशाओं में ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां वह व्यक्ति निगमित है या अन्यथा विधिक रूप से गठित है;
- (114) ''संघ राज्यक्षेत्र'' से-
 - (क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह;
 - (ख) लक्षद्वीप;
 - ¹¹[(ग) दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव;
 - **(घ)** लद्दाख;]
 - (ड.) चंडीगढ़; और
 - (च) अन्य राज्यक्षेत्र,

का राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है:

स्पष्टीकरण: इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उपखंड (क) से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में से प्रत्येक को एक पृथक संघ राज्यक्षेत्र समझा जाएगा;

- (115) ''संघ राज्यक्षेत्र कर'' से संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्गृहीत संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अभिप्रेत है:
- (116) ''संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम'' से संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत हैं:
- (117) ''विधिमान्य विवरणी'' से धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गई कोई ऐसी विवरणी अभिप्रेत है, जिस पर स्वः निर्धारित कर का पूर्ण रूप से संदाय किया गया है;
- (118) ''वाऊचर'' से कोई ऐसी लिखित अभिप्रेत है, जहां उसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए प्रतिफल के रूप में या भागिक प्रतिफल के रूप में स्वीकार करने की बाध्यता है और जहां पूर्ति किया जाने वाला माल या सेवाओं या दोनों या उनके संभावी पूर्तिकार की पहचान या तो लिखित पर ही उपदर्शित है या संबंधित दस्तावेजीकरण में उपदर्शित है, जिसके अंतर्गत ऐसी लिखत के उपयोग के निबंधन और शर्तें भी है;

¹¹ वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा खंड (ग) और (घ) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 49/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 24.06.2020 द्वारा इसको दिनांक 30.06.2020 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थाः

^{&#}x27;'(ग) दादरा और नागर हवेली;

⁽घ) दमन और दीव:"

- (119) ''कार्य संविदा'' से जहां किसी स्थावर संपत्ति का निर्माण, सन्निर्माण, रचना करने, पूरा करने, पिरिनिर्माण, संस्थापन, सिज्जित करने, सुधारने, उपान्तरण करने, मरम्मत करने, अनुरक्षण करने, नवीकरण करने, पिरवर्तन करने या बनाने के लिए कोई संविदा अभिप्रेत है, जिसमें ऐसी संविदा के निष्पादन में माल में संपत्ति का (चाहे वह माल या किसी अन्य रूप में हो) अंतरण अंतर्वलित है;
- (120) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उन अधिनियमों में हैं:

(121) 12[.....]

¹² जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन (केन्द्रीय कानूनों का अनुकूलन) आदेश, 2020 द्वारा विलोपित, (प्रभावशील दिनांक 18.03.2020)।